बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

सं.सं.: पी.एच./बि.ज.स्व.मि.–101/2016-347 दिनांकः 04-03-2016

विषयः **'विकसित बिहार के लिए सात निश्चय' के अंतर्गत 'शौचालय निर्माण, हर घर का सम्मान' निश्चय को पूरा करने के उद्देश्य से 'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान' के क्रियान्वयन के संबंध में।**

'विकसित बिहार के लिए सात निश्चय' के अंतर्गत **'शौचालय निर्माण, हर घर का सम्मान'** निश्चय निर्धारित है। इस निश्चय के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर में शौचालय की व्यवस्था की जानी है तथा राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय के नियमित उपयोग के लिए सामूहिक व्यवहार परिर्वतन को प्रोत्साहित किया जाना है। इस हेतु समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया को समर्पित **'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान'** की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है।

सामूहिक व्यवहार परिर्वतन के लिए माँग आधारित कार्यक्रम के रूप में **'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान'** बिना किसी बंधेज विभेद के पूरे बिहार को खुले में शौच मुक्त राज्य बनायेगा। इस हेतु "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" एवं बिहार सरकार प्रायोजित "लोहिया स्वच्छता योजना" के प्रावधानों से वित्तीय–प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा।

2. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त एवं स्वच्छ बनाने के उददेश्य से निम्नलिखित रणनीति अपनाई जायेगीः–

i. समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता (Community Led Total Sanitation - CLTS) विधि से समुदाय का सामूहिक व्यवहार परिवर्तन कर उन्हें शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त बनाया जायेगा;

ii. व्यक्ति विशेष के शौचालय निर्माण के तरीके के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से ग्राम पंचायतों का चयन कर संतृप्त तरीके (Saturation Approach) से ग्राम पंचायतों के सभी परिवारों को आच्छादित किया जायेगा;

iii. लाभार्थी को स्वयं शौचालय का निर्माण कराने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा;

iv. ग्राम पंचायत मुख्य क्रियान्वयन संस्था के रूप में कार्य करेंगी और पंचायत के सभी घरों में शौचालय निर्माण एवं उपयोग कराना सुनिश्चित करेगी। साथ ही, समुदाय आधारित संगठन; यथा जीविका संपोषित महिला स्वयं सहायता समूह, बिहार महिला समाख्या सोसायटी संपोषित महिला संगठन, आदि भी क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेंगी और अपने समूह/संगठनों के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करने में गतिविधियां संयोजित करेंगी;

v. शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में किया जायेगा;

जारी

vi. ग्राम पंचायत का चयन सहभागी पद्धति से किया जायेगा। इस प्रक्रिया में समाज के अभिवंचित समुदाय के क्षेत्रों को तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं अन्य किसी योजना के तहत चयनित मॉडल ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी;

vii. CLTS विधि पर ग्राम पंचायत के चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर इनके द्वारा ग्रामीणों का व्यवहार परिवर्तन किया जायेगा;

viii. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त बिहार के संदेश को जन–जन तक पहुँचाने के लिए जन–प्रतिनिधियों/सामुदायिक नेताओं/धर्मगुरूओं का उन्मुखीकरण किया जायेगा;

ix. समुदाय को शौचालय निर्माण की तकनीक एवं शौचालय के विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी दी जायेगी, ताकि वे अपनी इच्छानुसार शौचालय का निर्माण कर सके; ग्राम पंचायत स्तर पर राजमिस्त्रियों को चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षित करते हुए समुदाय के साथ शौचालय निर्माण हेतु जोड़ा जायेगा;

x. वैसे परिवार, जो स्वयं से शौचालय निर्माण के लिए सक्षम नहीं हैं, के लिए ग्राम पंचायत निर्माण सामग्री की व्यवस्था में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी और शौचालय निर्माण होने के उपरांत लाभार्थी द्वारा निर्माण सामग्री की राशि संबंधित आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराई जायेगी;

xi. भूमिहीन परिवारों के लिए जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ग्राम पंचायत एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर सार्वजनिक स्थानों पर समूह में कलस्टर शौचालय सुविधा उपलब्ध कराया जायेगी;

xii. किसी भी परिस्थिति में शौचालय निर्माण का कार्य ठेकेदार अथवा गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) से नहीं कराया जायेगा;

xiii. ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त होने के उपरांत इस स्थिति को कायम रखने की जिम्मेदारी समुदाय/ग्राम पंचायत की होगी;

xiv. खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के कार्य को नाली निर्माण के कार्य से अभिसरण करते हुए ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जायेगा;

xv. खुले में शौच से मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए विद्यालय, आँगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवन, ग्रामीण हाट–बाजार में स्वच्छता की स्थिति को प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग (ICDS), स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपने स्तर से कारवाई की जायेगी;

xvi. वैसे शौचालय विहीन परिवार, जिनका नाम जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा कराये गये बेसलाईन सर्वेक्षण में शामिल नहीं है और पूर्व में शौचालय सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है, को बेसलाईन सर्वेक्षण के डाटाबेस का अद्यतन कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जायेगी;

xvii. वैसे परिवार, जो पूर्व में किसी सरकारी योजना से शौचालय निर्माण हेतु लाभ प्राप्त कर चुके हैं, परन्तु शौचालय के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उस का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, को प्रेरित कर उनसे शौचालय निर्माण कराया जायेगा;

xviii. विशेष परिस्थिति में वैसे परिवार जो पूर्व में लाभ प्राप्त कर चुके हैं और उनके शौचालय ध्वस्त/अकार्यरत हैं तथा ये परिवार नये शौचालय निर्माण हेतु सक्षम नहीं

हैं, इस हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के द्वारा माइक्रोफाइनांस अथवा सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे;

xix. अभियान को गति प्रदान करने हेतु "बिहार स्वच्छता कोष" की स्थापना की जायेगी तथा इसके आयकर से छूट लेने की कारवाई की जायेगी;

xx. अप्रवासीय भारतीयों/वित्तीय संस्थाओं/कॉरपोरेट्स को गाँव/ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाने हेतु गोद लेने के लिए प्रेरित किया जायेगा;

xxi. प्रचार–प्रसार, क्षमता संवर्द्धन की गतिविधियां और अन्य सभी अवयवों यथा; सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, प्रशासनिक व्यय, आदि का संचालन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के विहित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

3. 'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान' के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के निम्न प्रकार की व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया है:–

(क) "लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान" के क्रियान्वयन का अनुश्रवण "बिहार विकास मिशन" के द्वारा किया जायेगा एवं समय–समय पर इसके क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक सुझाव दिये जायेंगे।

(ख) राज्य स्तर पर "लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान" का अनुश्रवण विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की एपेक्स समिति करेगी।

(ग) जिला स्तर पर इसका क्रियान्वयन जिला जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस अभियान में जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जिला पदाधिकारी एक चैम्पियन की भूमिका निभायेंगे।

बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एवं जिला जल एवं स्वच्छता समिति 'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान' के कार्यान्वयन हेतु अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

AA 3/3
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: **सं.सं.: पी.एच./बि.ज.स्व.मि.–101/2016**–347 दिनांक: 4/3/2016

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 500 प्रतियाँ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

AA 3/3
(अंशुली आर्या)
जानें प्रधान सचिव।